राजस्थान सरकार
वित्त विभाग

क्रमांक : प.11 (01)वित्त/समन्वय/2018 जयपुर, दिनांक 13.03.2018

परिपत्र

प्रशासनिक विभागों से प्राप्त पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण एवं जिन पत्रावलियों पर वित्त विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, के संबंध में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. ऐसी पत्रावलियाँ वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है–
   (i) जिनके लिए प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के स्तर से निर्णय लिया जाना है।
   (ii) ऐसे प्रकरण/प्रस्ताव जिनके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है एवं वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
   (iii) वित्तीय नियमों के तहत प्रशासनिक विभाग की सक्षमता में है।

2. वित्त (बजट) विभाग द्वारा किराये पर कम्प्यूटर (मशीन विद मैन) हेतु जारी परिपत्र क्रमांक F9(1)FD-1(1)Bud/2004 दिनांक 28.07.2008 एवं समय–समय पर संशोधित परिपत्रों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि बीएफसी 2018–19 में यदि इनकी संख्या के लिए स्वीकृति एवं बजट प्रावधान किया जा चुका है, तो वित्त विभाग की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

3. वित्त बजट विभाग द्वारा किराये के वाहन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक F9(1)FD-1(1)Budget/2015 दिनांक 15.07.2015 एवं समय– समय पर संशोधित परिपत्रों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि बीएफसी 2018–19 में, यदि इनकी संख्या के लिए स्वीकृति एवं बजट प्रावधान किया जा चुका है, तो वित्त विभाग की पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

4. बजट नियमावली के नियम संख्या 20 के अनुसार नवीन Item हेतु बिना शर्त स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रशासनिक विभाग के सक्षम स्तर से स्वीकृति जारी की जावे। उक्त प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं प्रकरणों को वित्त विभाग में प्रेषित किया जावे जिनके लिए BFC में प्रावधान on file किये गये हैं।

5. जिन प्रस्तावों/कार्यों हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध हैं एवं बजट घोषणा की जा चुकी है, लेकिन DPR/कार्य योजना/तखमीना आदि तैयार होकर अनुमोदन नहीं हुआ है, शीघ्रताशीघ्र उक्त प्रस्ताव तैयार कर पूर्ण विवरण के साथ सहमति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करावें।

6. पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाने से पूर्व उसका विस्तृत परीक्षण विभाग में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी से करवाया जावे। उक्त परीक्षण में वित्त विभाग की सक्षमता पाये जाने पर ही संबंधित नियम/प्रावधान का स्पष्ठ अंकन करते हुए उसकी टिप्पणी सहित व बजट प्रावधान की स्थिति अंकित करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करावें।

7. इसके साथ साथ प्रशासनिक विभाग पूर्व में जारी वित्त विभाग के परिपत्र प. 17(26)वित्त/समन्वय/2008 दिनांक 17.06.2009 की पालना सुनिश्चित करावें।

ह०/-
(डी.बी. गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,राजस्थान जयपुर।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अनुभाग वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. अति. निर्देशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) सचिवालय जयपुर।
6. समस्त अनुभाग, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय।

13/3/15
संयुक्त शासन सचिव
वित्त(समन्वय)विभाग

C.O. deepak sharma